

बिहार सरकार

गृह विभाग

(विशेष शाखा)

फैक्स
निबंधित
ई-मेल

प्रेषक,

प्रेम कुमार गुप्ता 'प्रेम'
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
खगड़िया।

पटना, दिनांक :- 31/01/2017

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 में मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम समूह शीर्ष-गैर योजना अन्तर्गत, उपशीर्ष 0016-स्वतंत्रता सेनानी सम्मान योजना के पेंशनरों को उनके पौत्री/नतिनी की शादी हेतु अनुदान के अन्तर्गत निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा स्वीकृत पेंशनधारी स्वतंत्रता सेनानी के पोती/नतिनी की विवाह अनुदान राशि के भुगतान हेतु आपके पत्रांक-33 दिनांक-17.01.2017 से प्राप्त अधियाचना के आलोक में 2,55,000/- (दो लाख पचपन हजार) रुपये मात्र का आवंटन किया जाता है।

(2) उपर्युक्त राशि का व्यय, चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 में, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम, समूह शीर्ष-गैर योजना अन्तर्गत, उपशीर्ष 0016-स्वतंत्रता सेनानी सम्मान योजना के पेंशनरों को उनके पौत्री/नतिनी की शादी हेतु अनुदान, विषय शीर्ष-3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, मांग संख्या-22 तथा विपत्र कोड सं०-एन2235602000016 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

(3) उक्त राशि केन्द्रीय राजस्व से पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों/उनके वैध उत्तराधिकारियों को जिलाधिकारी द्वारा उचित पहचान के आधार पर विवाह अनुदान का भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से बैंक खाते में की जायेगी।

(4) यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या सं०-2561, दिनांक-17.4.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

(5) प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना इसके नियंत्री पदाधिकारी तथा संबंधित जिला पदाधिकारी इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्ववत् घोषित रहेंगे। इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

(6) जिला पदाधिकारी का यह दायित्व होगा की भुगतान की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को यथाशीघ्र निश्चित रूप से उपलब्ध करायें।

(7) उक्त आवंटित राशि का भुगतान किसी कारणवश नहीं हो पाने की स्थिति में जिला पदाधिकारी द्वारा उस राशि का प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष 2016-2017 की समाप्ति के पूर्व विभाग को निश्चित रूप से कर दिया जायगा।

(8) प्रस्ताव में विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

(2)

ज्ञापांक-..... 58 पटना, दिनांक-..... 31/01/2017
प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-..... 58 पटना, दिनांक-..... 31/01/2017
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक-..... 58 पटना, दिनांक-..... 31/01/2017
प्रतिलिपि:- आईटीओ मैनेजर, तकनीकी कोषांग, गृह विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधितों को ई-मेल के माध्यम से संसूचित करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
सरकार के अवर सचिव
30/01/17
सरकार के अवर सचिव